

6-71)

आज यह पत्रिका की कल्पना के लिए आप ही कहेंगे कि मैं
जब छोटी बाली बनी तो एक पक्षीय दुनिया / पत्रिका
के दिनों का अभाव का किम्वदन्ता / बाली के बाद डिजिटल किम्व
आना है। किम्व अभाव का किम्वदन्ता का आभाव का
किम्वदन्ता / पत्रिका का अभाव का किम्वदन्ता का अभाव का
आभाव का किम्वदन्ता का अभाव का किम्वदन्ता का अभाव का

any

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
कोटकासिम (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प.....ईकरोटिया

पीठासीन अधिकारी:- विश्वामित्र मीना, आरएएस

उनवान

युधिष्ठिर.....बनाम.....राकेश आदि

दावा बाबत.....हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


मुकदमा नम्बर : 72 / 15.04.2013

निर्णय दिनांक:- 06.07.2017

वादी वकील की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख.....06.07.2017 को विश्वामित्र मीना, आरएएस, उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम(अलवर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए कैम्प कोर्ट में पेश होने पर सुना गया व पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया । रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:- विवादित आराजी वाके ग्राम ठाठका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान खसरा नम्बर 182/0.1000 हैक्टेयर पर प्रतिवादीगण हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द रहेंगे कि वो विवादित आराजी के किसी भी जुज पर जबरन कब्जा ना करें,, ना निर्माण करें, वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा ना करें। मौके की यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर करें। निर्णय कैम्प कोर्ट में लिखाया जाकर खुले में सुनाया गया।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज तारीख.....06.07.2017...को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(विश्वामित्र मीना)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहा.कलक्टर,कोटकासिम
कैम्प कोर्ट.....ईकरोटिया